प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं.80/2024)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

विषय: स्पैम कॉल और एसएमएस दुरुपयोग से निपटने के लिए ट्राई के निरंतर प्रयास

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पैम कॉल के खतरे को कम करने और दुर्भावनापूर्ण/धोखाधड़ी संदेशों को अग्रेषित करने में बेईमान तत्वों द्वारा एसएमएस हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। ये उपाय उपभोक्ता हितों की रक्षा और एक स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं।

की गई प्रमुख कार्रवाई:

- स्पैम कॉल के खिलाफ कड़े उपाय: ट्राई ने 13 अगस्त 2024 को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अनिवार्य किया गया कि नियमों का उल्लंघन करके प्रमोशनल वॉइस कॉल करने वाली किसी भी इकाई को कड़े परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी दूरसंचार संसाधनों का वियोग, दो साल तक के लिए ब्लैकलिस्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग अवधि के दौरान नए संसाधन आवंटन पर प्रतिबंध शामिल है। इन दिशानिर्देशों के जवाब में, 800 से अधिक संस्थाओं/व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, और 18 लाख से अधिक SIP DID/मोबाइल नंबर/दूरसंचार संसाधनों को काट दिया गया है, जो वाणिज्यिक कॉल की प्रणालियों को साफ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- अनिवार्य **URL, APK** और **OTT** लिंक व्हाइटलिस्टिंग: 20 अगस्त 2024 को ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एक्सेस प्रोवाइडर्स ने 1 अक्टूबर 2024 से संदेशों में URL, APK या OTT लिंक की अनिवार्य व्हाइटलिस्टिंग लागू की है। इस तरह, केवल सुरक्षित और स्वीकृत लिंक ही एसएमएस के माध्यम से जा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को हानिकारक या नकली वेबसाइटों, ऐप्स या अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाया जा सकता है।
- टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए वितरित लेज़र टेक्नोलॉजी (ब्लॉकचेन) प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेशन: 1 अक्टूबर 2024 से, 140 श्रृंखला से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल को सख्त निगरानी और नियंत्रण के लिए वितरित लेज़र टेक्नोलॉजी (ब्लॉकचेन) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- संदेश भेजने में शामिल संस्थाओं (प्रेषकों/प्रधान संस्थाओं) का पता लगाने योग्यता: एक्सेस प्रोवाइडर्स ने प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजने में शामिल संस्थाओं (प्रेषकों/प्रधान

अतुल चौधरी
28/10/24

संस्थाओं) का पता लगाने योग्यता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समाधान लागू किए हैं। इस नई व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि संदेश को भेजने वाले से लेकर अंतिम डिलीवरी तक संदेश को संभालने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ट्रैक रखा जाता है। इसमें प्रिंसिपल एंटिटी (PE)-टेलीमार्केटर्स (TM) श्रृंखला को परिभाषित करना शामिल है, जिसके माध्यम से संदेश एक्सेस प्रोवाइडर तक पहुंचते हैं। जागरूकता, तकनीकी उन्नयन और श्रृंखला घोषणा के लिए संक्रमण समय (ट्रैन्ज़िशन टाइम) प्रदान करने के लिए, ट्राई ने 28 अक्टूबर 2024 को अपने 20 अगस्त 2024 के पूर्व दिशानिर्देश के आंशिक संशोधन के माध्यम से, एक्सेस प्रोवाइडर्स को सभी पीई और टीएम द्वारा पीई-टीएम श्रृंखला घोषणा जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है| पीई और टीएम जो पीई-टीएम श्रृंखला बंधन पर चूक करते हैं, उन्हें संबंधित एक्सेस प्रोवाइडर्स द्वारा 30 नवंबर 2024 तक दैनिक आधार पर चेतावनी जारी की जाएगी। 1 दिसंबर 2024 से, किसी भी ट्रैफ़िक (संदेश) जहां टेलीमार्केटर्स की श्रृंखला परिभाषित नहीं है या पूर्व-परिभाषित श्रृंखला से मेल नहीं खाती है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अतुल चौधरी
28/11/24

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, ट्राई